भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 543
बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर विद्युत उत्पादन के लिए योजनाएं</u>

543. श्री देवेश शाक्यः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक देश में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सौर ऊर्जा से संबंधित सौर मॉड्यूलों, इनवर्टरों और अन्य संघटकों के लिए घरेलू कंपनियां अन्य देशों, विशेषकर चीन पर निर्भर है जिसमे इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो आगामी वर्षों में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा और कासगंज जैसे जिलों में विशेषकर सौर ऊर्जा उपकरणों के पूर्ण विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास और स्वदेशी उत्पादन के लिए क्या पहल किए जाने का विचार है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने देश में सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है। कुछ प्रमुख कार्यशील योजनाओं की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, सौर ऊर्जा से संबंधित सौर मॉड्यूलों**,** इनवर्टरों और अन्य सौर संघटकों की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और इसके फलस्वरूप आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए लगातार नीतियां ला रहा है। अन्य के साथ-साथ किए गए विभिन्न उपायों में **अनुलग्नक-II** में दिए गए उपाय भी शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं। उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत चुने गए विनिर्माता, उत्तर प्रदेश सहित भारत में कहीं भी अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश जैव (बायो) ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 भी जारी की है।

अनुलग्नक-I

'सौर विद्युत उत्पादन के लिए योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 543 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील योजनाओं की सूची

1. सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाएं। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. एक करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सौर की स्थापना तथा प्रति माह 300 युनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और ट्रांश-II) में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, स्टैण्ड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)।

अनुलग्नक-II

'सौर विद्युत उत्पादन के लिए योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 543 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य अक्षय ऊर्जा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः** भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं।

(ii) **स्वदेशी सामग्री आवश्यकता (डीसीआर):** एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के तहत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख एवं ग, और पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयताः** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश' के अनुसार, एमएनआरई ने आरई क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) को अधिसूचित किया था, जो अन्य के साथ-साथ, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान करता है जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा यह अनिवार्यता है कि केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होगा, इस अनिवार्यता के साथ कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iv) **सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों, सोलर इनवर्टरों तथा सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा-शुल्क लगानाः** सरकार ने सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों, सोलर इनवर्टरों तथा सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) **सीमा शुल्क रियायतों को बंद करनाः** एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क रियायत प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

(v) **सौर सेलों तथा मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल (कैपिटल गुड्स) पर सीमा शुल्क की छूट:** सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माता के लिए दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क सूची 41 में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट दी है।

*****